

कार्यालय प्राचार्य,

शासकीय संत गहिरा गुरु रामेश्वर महाविद्यालय, लैलुंगा, जिला-रायगढ़ (छ.ग.)

ई-मेल srgglailunga@gmail.com

मोबाईल नं. 8889937479

लैलुंगा, दिनांक 12.09.2026

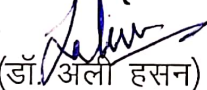
// महाविद्यालय के 100 सीटर कन्या छात्रावास में कैंटीन संचालन हेतु निविदा आमंत्रण //

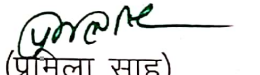
सत्र 2026-27 में कन्या छात्रावास (वर्तमान में 50 सीट) के लिए छात्रावास में कैंटीन संचालित होना है। कैंटीन संचालन हेतु व्यक्ति/फर्म/स्व सहायता समूह को महाविद्यालयीन शर्तों के अधीन कैंटीन में खाद्य सामग्री की प्रस्तावित दर सीलबंद लिफाफे में कार्यालयीन समय में दिनांक 25.09.2026 शाम 05:30 बजे तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना होगा।

प्राप्त भाव पत्रकों के अवलोकन पश्चात् नियमानुसार छात्रावास समिति द्वारा निर्णय लिया जाएगा तत्पश्चात् संबंधित को सूचित किया जाएगा।

समय	सामग्री	प्रतिमाह दर
नाश्ता (सुबह 06:30-08:00 बजे)	पोहा/पराठा/पूड़ी-सब्जी/इडली/पकोड़ा कोई एक (150-200 ग्राम)	
दोपहर भोजन (दोप.12:30- 02:00 बजे)	चावल, (150-200 ग्राम) दाल (60-80 ग्राम) सब्जी (100-120 ग्राम) सलाद, अचार	
रात्रि भोजन (07:00 बजे-09:00 बजे)	चावल, (150-200 ग्राम) दाल (60-80 ग्राम) सब्जी (100-120 ग्राम) सलाद, अचार	

संलग्न :- कैंटीन संचालन हेतु शर्तें


(डॉ. अली हसन)
संयोजक


(प्रमिला साहू)

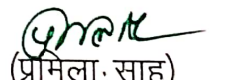
Principal

Govt. Navin College
Lailunga, Distt Raigarh

प्रतिलिपि :-

1. महाविद्यालय के सूचना पटल/वेबसाइट हेतु।
2. दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
3. स्थानीय कैंटीन संचालक को सूचनार्थ।
4. कार्यालयीन प्रति।


(डॉ. अली हसन)
संयोजक


(प्रमिला साहू)

Principal

Govt. Navin College
Lailunga, Distt Raigarh

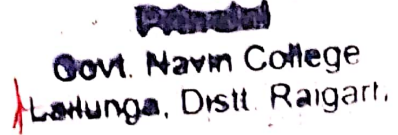


लैलूंगा, दिनांक 12.09.2026

// कैंटीन संचालन हेतु शर्तें //

1. कैंटीन में अनुमति प्राप्त व्यक्तियों के अलावा बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित होगा।
2. बाल मजदूर से कार्य लेना वर्जित होगा।
3. खाद्य पदार्थ गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए तथा FSSAI द्वारा प्रमाणित होना चाहिए।
4. स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाना आवश्यक होगा।
5. प्लास्टिक/पन्नी का उपयोग पूर्णतः वर्जित होगा।
6. कैंटीन के कारण छात्रावास का अनुशासन प्रभावित होने पर संचालन की अनुमति समाप्त की जा सकेगी।
7. व्यक्ति/फर्म के लिए आमानत राशि 20,000रु. एवं स्व सहायता समूह के लिए अमानत राशि 5000रु. जमा कर छात्रावास के साथ 50 रु. के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
8. समय पूर्व कैंटीन का संचालन बंद करने एवं शर्तों का उलंघन करने पर अमानत राशि लौटाई नहीं जावेगी।
9. शनिवार रात्रि भोजन के साथ मीठा की व्यवस्था कैंटीन संचालक को करनी होगी।
10. रसोई कक्ष डाईनिंग हॉल की स्वच्छता की जिम्मेदारी कैंटीन संचालक की होगी।
11. रसोई कक्ष हेतु बर्तन, छात्राओं हेतु प्लेट की व्यवस्था एवं साफ-सफाई कैंटीन संचालक को करना होगा।
12. निविदा हेतु दरें प्रति छात्र प्रति माह के हिसाब से रूपये में अंकित करना होगा।
13. निर्धारित तिथि तक तीन निविदा से कम आने पर निविदा की अंतिम तिथि में वृद्धि की जाएगी।


(डॉ. अली हसन)
संयोजक


(प्रमिला साहू)
प्राचार्य

Govt. Navin College
Lalunga, Distt. Raigarh.